R. 22 Internship

R. 22.1 The student should undergo industrial training/internship for a minimum period of five months during the 6th semester in any of the reputed industry, Government-sponsored Research and Development Organization. Attachment with an academic institution within the country (**IISc/ IITs/ NITs/ IIITs** and **CFTIs**) or foreign universities are also permitted for the exceptional cases with special permission in lieu of industrial training.

R. 22.2 Students should submit a report during the last week of May along with the certificate obtained from the industries, R&D organizations, or Academic Institutes. The performance in the internship will be evaluated based on the report and viva-voce examination. The examiners for the viva-voce examination shall be the HoD and the program coordinator or the nominees.

R. 23 Scholarship

At present, the institute is not offering any Institute level scholarship. However, students can avail scholarships from Government of India/ State Government and others, if any as per the eligibility. Moreover, if scholarships are granted by any stakeholders or other agencies at institute level, the same shall be made available to the students.

R. 24 Eligibility for Award of B.Tech. Degree

A student shall be eligible for the award of the degree of the Bachelor of Technology (B. Tech.) only if:

a) Student has undergone the prescribed program of study by earning the minimum total number of credits specified in the curriculum of the relevant program of study.
b) Student has a minimum CGPA of 5.
c) Student has no dues to the Institution, Library, Hostels, etc.
d) Student has no disciplinary action pending against them.

R. 25 Eligibility for Award of B.Tech. (Honors) Degree

A student shall be eligible for award of the degree of the Bachelor of Technology (Honors) only if:

a) Studenthasundergone prescribed program of study with a SGPA of 8 and above in first four semesters.
b) Student has completed the prescribed four additional, recognized and approved open elective (NPTEL/ SWAYAM/ MOOCs) courses by the institute of three credits each from V semester.
c) Student has scored a SGPA of 8.5 and above from V to VIII semesters.
d) Student has scored an overall CGPA of 8.5 and above in all semesters.
e) Student has no backlogs and disciplinary action.
f) Student registered for B. Tech. (Honors) but failed to fulfill (a) and (e) will be awarded B. Tech. subject to satisfying clause R. 24.

R. 26 Power to Modify

Notwithstanding all that has been stated above, the Senate has the right to approve any modifications brought out at a later date.

R. 27 Legal Challenge

Any clause/provision stated in the rules and regulations if challenged in the Court of Law subject to jurisdiction of Una, the decision of the Court shall be binding.

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy. (TE)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3816(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

1. संस्थान द्वारा चलाये गये सभी बी. टेक प्रोग्राम इस अध्यादेश द्वारा नियंत्रित किए जायेंगे।

2. बी.टेक अध्यादेश भविष्य में आरंभ किए जाने वाले सभी बी.टेक अनुसंधानों पर भी लागू होगा।

3. इन अध्यादेशों द्वारा निर्धारित सभी शैक्षणिक आवश्यकताओं को सुचारू रूप से पूर्ण करने के बाद छात्र बी.टेक डिग्री के लिए पात्र हो जायेगा।

4. संस्थान में निम्नलिखित बी.टेक की शाखाएं होंगी:

कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी (सीएसई)

इलेक्ट्रोनिक और संचार अभियांत्रिकी (ईसीई)

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

शैक्षणिक कैलेंडरः

1.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र को लगभग अठारह सप्ताह की अवधि के दो छमाही में विभाजित किया जाता है, एक सम और एक विषम छमाही। प्रत्येक छमाही में शिक्षण के लिए न्यूनतम सत्तर कार्य दिवस होगें।

1.2 इसके अतिरिक्त, ग्रीष्म अवकाश के दौरान एक छमाही हो सकता है, जिसे ग्रीष्मकालीन छमाही कहा जाता है।

1.3 शैक्षणिक कैलेंडर में सत्र के लिए शैक्षणिक गतिविधियों का सीनेट द्वारा अनुमोदन, अनुसूची, पंजीकरण, मध्य छमाही और अंत छमाही परीक्षाओं की तिथियां एवं सभी प्रकार के अवकाश साम्मिलित होंगे ।

प्रवेश

2.1 संस्थान में अवर स्नातक (बी.टेक) कार्यक्रम के प्रवेश के लिये प्रत्येक शाखा में सीटों की संख्या भा.सू.प्रौ.स. सोनीपत की सीनेट द्वारा तय की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित हैं, जो समय-समय पर भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार निश्चित की जाएंगी ।

2.2 किसी भी वर्ष बी.टेक. कार्यक्रम में प्रवेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार होगा। वर्तमान में ये संबंधित वर्ष के लिए जेओएसएए एवं सीएसएबी द्वारा आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य, में प्रदर्शन पर आधारित हैं।

2.3 प्रत्येक छात्र जो संस्थान के किसी भी कार्यक्रम में अंतरिम रूप से या अन्य प्रकार से प्रवेश पाता है, वह प्रमाण पत्र/अंनतिम प्रमाण पत्र और ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे। ऐसे दस्तावेजों को निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।

किसी भी छात्र का प्रवेश, अंतरिम या अन्यथा, जो निर्धारित तिथि तक या तो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है या प्रवेश के लिए किसी अन्य निर्धारित आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है, रद्द समझा जायेगा।

2.4 यदि बाद में किसी भी समय यह पाया जाता है कि छात्र ने प्रवेश प्राप्त करते समय कोई मिथ्या सूचना दी है या कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं छिपाई है तो सीनेट द्वारा उसका प्रवेश रद्द किया जा सकता है।

2.5 संस्थान के पास किसी भी छात्र के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार है और उसे असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर या उसके अनुशासनात्मक आधार पर उसके शिक्षण काल के किसी भी चरण में उसकी पढ़ाई रोकने के लिए कह सकता है।

उपस्थिति :

3.1 अंतिम छमाही की परीक्षाओं में उपस्थिति होने के पात्र होने के लिए छात्र के पास निम्न होना आवश्यक है ।

i छमाही में पंजीकरण

ii प्रत्येक विषय में उसकी उपस्थिति आयोजित कक्षाओं की कुल संख्या की 75% अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। (यानी व्याख्यान) पाठ्यक्रम में व्याख्यान एवं ट्यूटोरियल और प्रेक्टिकल पाठ्यक्रमों में प्रेक्टिकल की कक्षाओं की संख्या के आधार पर)। यदि कोई छात्र किसी एक अथवा अधिक विषयों में इस न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ण करने मे असमर्थ रहता है, तो उसे स्वतः रूप से 'फेल श्रेणी' यानी एफ श्रेणी दिया जाएगा और उसे यह विषय पुनः अध्ययन करना होगा ।

बशर्ते कि:

(क) सभी थ्योरी एवं प्रेक्टिकल विषयों में, जिसमें छात्र ने पंजीकरण किया है, छात्र की संचयी उपस्थिति (सीए) 75% या उससे अधिक है तो वह छात्र सभी थ्योरी एवं प्रेक्टिकल विषयों की अंतिम छमाही परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होगा, यदि, किसी भी विषय में उसकी उपस्थिति 75% स कम न हो।

(ख) इसके अलावा,यदि छमाही में किसी विषय/विषयों में छात्र की संचयी उपस्थिति 75% से कम है, तो छात्र केवल उन विषयों में अंतिम छमाही परीक्षा में पात्र होगें, जिसमें उनकी उपस्थिति 75% या उससे अधिक है।

(ग) असाधारण परिस्थितियों में, निदेशक, वास्तविक चिकित्सा या अन्य अपरिहार्य कारणों से, विभागाध्यक्ष और संबंधित अध्यक्ष (शैक्षणिक) की सिफारिशों पर न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता को 65% तक राहत दे सकते हैं।

(घ) अतिशय परिस्थिति जैसे दुर्घटना आदि में, निदेशक संबंधित विभागाध्यक्ष और अध्यक्ष (शैक्षिणिक) की सिफारिश पर न्यूनतम सीए की आवश्यकता को 50% तक कम कर सकते है ।

(ड.) संबंधित बी.टेक. के लिए सभी यू.जी. कार्यक्रमो के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा सीए की गणना की जाएगी। बी.टेक. प्रथम वर्ष के लिए सीए को प्रभारी प्राध्यापक (प्रशासनिक एवं सीनेट) द्वारा संकलित किया जाएगा। बी.टेक. प्रथम समेस्टर छात्रों के लिए, सीए की गणना संबंधित छात्र के प्रवेश की तिथि से की जाऐगी । संकलित सीए की जानकारी आवश्यक कार्यवाही के लिए परीक्षा नियंत्रक को समेस्टर के अन्तिम शिक्षण दिवस के बाद तीन दिनों के भीतर अध्यक्ष शैक्षणिक को भेज दी जाएगी।

आचरण और अनुशासन:

4.1 छात्रों को संस्थान के भीतर और बाहर एक 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' के छात्रों के यथायोग्य आचरण करना होगा ।

पाठ्यक्रम संरचना

5.1 विषयों को पढ़ाने के लिए साख दिया जाएगा; सामान्यतः साख निम्नलिखित रीति में निर्धारित किये जाएंगे:

I प्रत्येक व्याख्यान अवधि के लिए एक साख

II प्रत्येक पाठ्यक्रम अवधि के लिए एक साख

III प्रत्येक प्रयोगशाला या परियोजना सत्र के लिए प्रति घंटे के लिए आधा साख ।

5.2 संस्थान की बी.टेक. की डिग्री अर्हता प्राप्त करने के लिए एक छात्र को उस विशेष कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित साख को पूरा करना आवश्यक है ।

5.3 किसी भी छमाही में सामान्य रूप से छह से अधिक व्याख्यान आधारित विषय और चार से अधिक प्रयोगशाला अधारित विषय नही होंगे। हालांकि, विशेष स्थितियों में, छात्रों को सात व्याख्यान-आधारित पाठ्यक्रम लेने की अनुमति दी जा सकती है ।

5.4 पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित चार प्रमुख समूहों में विभाजित किया जा सकता हैः

i मानविकी और समाज विज्ञान

ii विज्ञान और गणित

iii सामान्य अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम

iv व्यवसायी पाठ्यक्रम

5.5 किसी भी विभाग के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पैकेज में निम्नलिखित घटक होंगेः

i सामान्य इंजिनियरिंग पाठयक्रम

ii विभागीय आन्तरक पाठ्य विषय

iii विभागीय ऐच्छिक पाठ्य विषय

iv संस्थागत ऐच्छिक पाठ्य विषय (एचएसएस ऐच्छिक सम्मिलित)

5.6 प्रत्येक बी.टेक. कार्यक्रम में सीनेट द्वारा अनुमोदित विषय और उनका पाठ्यक्रम होगा ।

5.7 शिक्षा का माध्यम, परीक्षा और परियोजना रिपोर्ट अंग्रेजी में होगी ।

5.8 संकाय सलाहकारः छात्रों को अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम की योजना बनाने और शैक्षणिक कार्यक्रम पर सामान्य सुझाव प्राप्त करने में मदद करने के लिए, संबंधित विभाग एक संकाय सलाहकार नियुक्त करेगा।

6.1 पंजीकरण :

क) प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक छमाही के प्रारंभ में शैक्षणिक अनुभाग द्वारा अधिसूचित तिथियों पर उपस्थित होना एवं पंजीकरण करना आवश्यक है। बीटेक छात्रों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शैक्षणिक अनुभाग द्वारा आयोजित की जाएगी । बी.टेक. पहले और दूसरे छमाही के छात्रों के लिए, अकादमिक शाखा प्रक्रिया का संचालन करती है, जबकि तीसरे छमाही से संबंधित विभाग प्रक्रिया का संचालन करेगी ।

ख) केवल उन्ही छात्रों को पंजीकरण करने की अनुमति होगी जिन्होंने/जिन्हे-

(i) संस्थान, पुस्तकालय और छात्रावास (यदि निवासी हो) के सभी शुल्क और बकाया राशि चुका दी हो

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी आधार पर निर्दिष्ट अवधि के लिए पंजीकरण करने से वंचित नहीं किया गया है, और

(iii) अध्यक्ष (शैक्षणिक) अगले तीन कार्य दिवसों में निर्धारित विलंब शुल्क के साथ देर से पंजीकरण की अनुमति दे सकता है ।

6.2 निर्धारित सीमा के अनुसार पंजीकरण करने में विफल रहने वाले छात्रों को कार्यक्रम से छमाही के लिए पंजीकरण ना करना माना जाएगा और भविष्य की कार्रवाई छात्र की स्थिति और इन अध्यादेशों के प्रावधानों पर आधारित होगी ।

6.3 पंजीकरण के लिए निम्नलिखित शर्तो का पूरा किया जाना अनिवार्य है:

क. तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करने से पूर्व छात्र को प्रथम वर्ष के सभी विषय उत्तीर्ण किये होने चाहिए ।

ख. चौथे वर्ष के पाठयक्रम के लिए पंजीकरण करने से पूर्व छात्र को द्वितीय वर्ष के सभी विषय उत्तीर्ण किये होने चाहिए ।

छमाही के लिए पंजीकरण	पूर्वापेक्षा
पहला से चौथा छमाही	शून्य
पांचवां छमाही	प्रथम वर्ष (I और II दोनों छमाही उत्तीर्ण)
सातवां छमाही	दूसरा वर्ष (III और IV दोनों छमाही उत्तीर्ण)

कार्यक्रम की अवधि:

7.1 सामान्यतः एक छात्र लगातार आठ छमाही में स्नातक कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा । हालांकि एक छात्र के पास बी.टेक. कार्यक्रम पूरा करने के लिए अधिकतम 8 वर्ष का समय होगा ।

संस्थान से अस्थाई रूप से नाम वापसी:

8.1 एक छात्र, जिसने संस्थान के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश लिया है, उसे लंबी बीमारी अथवा परिवार में गंभीर आपदा अथवा असाधारण बाध्यकारी कारणों से संस्थान से एक छमाही अथवा उससे अधिक के लिए अस्थायी रूप से शिक्षण कार्य वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि:

(क) वह छमाही के शुरू होने के कम से कम 6 सप्ताह के भीतर संस्थान में आवेदन करता है या जिस तारीख को उसने अपनी कक्षाओं में भाग लिया है, उस तारीख से बाद में, पूरी तरह से इस तरह की वापसी के कारणों को एक साथ बताते हुए एवं अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों के साथ;

(ख) संस्थान संतुष्ट है कि, वापसी की अवधि की गिनती करते हुए, छात्र की बी.टेक की शैक्षणिक आवश्यकताओं को खंड 8 में दी गई समय सीमा में पूरा करने की संभावना है;

(ग) संस्थान /छात्रावास /विभाग /पुस्तकालय में छात्र का कुछ बकाया नही है।

चेतावनी, शैक्षणिक परिवीक्षा और कार्यक्रम से हटाया जाना:

9.1 बी.टेक. कार्यक्रम से एक छात्र की पढ़ाई निम्नलिखित आधार पर समाप्त की जा सकती है:

क. अनुशासनात्मक आधार पर निर्णय लिया जाता है।

ख. यदि पाया गया कि छात्र ने झूठे दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है या प्रवेश पाने के समय झूठी घोषणा की गई है।

ग. कार्यक्रम की अधिकतम अनुमेय अवधि को पार कर लिया गया है।

मूल्यांकन प्रक्रिया

10.1 संस्थान सभी डिग्री कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन के लिए साख आधारित प्रणाली का अनुसरण करता है

कक्षा-कार्य, दो मिड छमाही परीक्षाओं और अंतिम छमाही परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किए गए पाठ्यक्रम में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर, छमाही मे उस विषय के लिए छात्र को एक अक्षर श्रेणी प्रदान किया जाता है, जैसे:

प्राप्तां और श्रेणी	अक्षर श्रेणी	निष्पादन	श्रेणी अंक
85 ≤ A+ ≤ 100	A+	उत्कृष्ट	10
75 ≤ A < 85	A	बहुत अच्छा	09
65 ≤ B < 75	B	अच्छा	08
50 ≤ C < 65	C	औसत	06
40 ≤ D < 50	D	उत्तीर्ण	04
0 ≤ E < 40	F	असफल/ पुनःप्रवेष	00

IndiaCode

इसके अतिरिक्त, चूंकि छात्रों को प्रदान किया जाने वाला प्रत्येक अक्षर श्रेणी उस पाठ्यक्रम में प्रदर्शन के स्तर को इंगित करता है, इसलिए इसमें संचयी श्रेणी अंक औसत (सीजीपीए) को गणना करने के उद्देश्य से एक निर्धारित श्रेणी अंक है जैसा कि ऊपर तालिका में दिया गया है।

संचयी श्रेणी अंक औसत (सं.श्रे.अं.औ.) सभी श्रेणियों का भारित औसत है और निम्नानुसार गणना की जाती हैः

$$\text{सं.श्रे.अं.औ.} = \sum CiGi \sum Ci$$

सीआई एक विषय के पाठ्यक्रम को दिऐ गए साख को दर्शाता है और जी आई उस छात्र को उन्हीं विषयों के पाठ्यक्रम के लिए प्राप्त पत्र श्रेणी के बराबर श्रेणी बिंदु को इंगित करता है ।

किसी विषय में 'F' श्रेणी पाने वाले छात्र को उस विषय को दोहराना होगा।

एक छात्र के अंकों के प्रतिशत की गणना एक छात्र के सं.श्रे.अं.औ. को 9 से गुणा करके की जा सकती है

10.2 जिन छात्रों को किसी छमाही में किसी विषय या विषयों में अपेक्षित उपस्थिति में कमी के कारण वंचित किया जाता है, उसके पास निम्नलिखित दो विकल्प हैं

I) विषय/विषयों के लिए पंजीकरण करने के लिए जब उन विषय/विषयों को पढाया जा रही हो, तो सामान्य मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरें और उचित श्रेणी प्राप्त करें।

II) अगली कक्षा में स्थानांतरित करे और उन पिछले छमाही के विषय अथवा विषयों में केवल मिड-छमाही परीक्षा के लिए आयें । ऐसे छात्र जिन्हें पिछले छमाही के विभिन्न विषयो में सुधार करना है, उनके विषयवार अंक के सुधार के लिए मध्य-छमाही परीक्षा में उपस्थित हो और उनके अन्य शैक्षणिक कार्यों के मूल्यांकन की अनदेखी करते हुए केवल मध्य छमाही परीक्षा के प्रदर्शन पर अंक दिए जाएगें, जिसकी सीमा 40% रहेगी ।

शैक्षणिक मूल्यांकन/ प्रदर्शन का आंकलन:

11.1 **मूल्यांकन के उप-घटक और उनका महत्व:**

	उप-घटक	**भारित %**
(क)	सिद्धांत पत्र	
1.	दो कक्षा परीक्षा	15+15=30
2.	मौखिक परीक्षा, गृहकार्य, मौके पर परीक्षा, अल्प प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से शिक्षक द्वारा मूल्यांकन	10
3.	कक्षा उपस्तिथि (व्याख्यान + ट्यूटोरियल)*	10
4.	अंत छमाही परीक्षा	50
(ख)	प्रायोगिक	
1.	मिड छमाही मूल्यांकन (नियमित प्रेक्टिकल कक्षाओं में किया जाएगा)	30
2.	मौखिक परीक्षा, अल्प प्रश्नोत्तरी, रिपोर्टों, कक्षा कार्य आदि के माध्यम से शिक्षक द्वारा मूल्यांकन	20
3.	कक्षा उपस्थिति*	10
4.	एंड छमाही परीक्षा	40

(ग)	संगोष्ठी, परियोजनाओं, अशिक्षण, व्यापक मौखिक परीक्षा और सामान उपयुक्तता मूल्यांकन के लिए भारित प्रतिशतता विभागीय समीक्षा/शैक्षिक समितियों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

सत्रीय अंकों की उपस्थिति घटक की गणना के लिए अधिकतम उपस्थिति, कुल कक्षाओं का 90% होगी। छात्रों को न्यूनतम डी श्रेणी और निर्धारित साख अर्जित करना अनिवार्य होगा ।

परीक्षा:

12.1 निम्नलिखित कारणों से किसी छात्र को अंतिम छमाही परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित किया जा सकता है:

क. यदि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

ख. किसी शिक्षक की सिफारिश पर, व्याख्यान/ ट्यूटोरियल/ प्रायोगिक कक्षाओं में उसकी उपस्थिति छमाही के दौरान निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं से कम है।

अनुपूरक परीक्षाएं

13.1 जो छात्र किसी भी कारण से अंतिम छमाही की परीक्षा से चूक गए हैं, वे बाद में होने वाले विषम या सम छमाही में समान परीक्षा (विषम छमाही मे विषम अनुसूचित परीक्षा और सम छमाही मे सम अनुसूचित परीक्षा) के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं, जिसकी अनुमति अपेक्षित शुल्क के भुगतान एवं छात्र के अनुरोध पर दी जाएगी।

ग्रेड्स का रोका जाना:

14.1 अगर छात्र ने अपना बकाया भुगतान नहीं किया हो या उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो, तो श्रेणी को रोक दिया जाएगा।

बी टेक की डिग्री के लिए पात्रता

15.1 एक छात्र को बी.टेक की डिग्री के लिए तभी योग्य पात्र घोषित किया जाएगा। यदि उसके पास निम्न है:

क. पास या उच्चतर श्रेणी के साथ सभी विषयों (थ्योरी, प्रयोगशाला, कार्यशाला), एवं संगोष्ठी, प्रोजेक्ट, औद्योगिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप आदि में डिग्री के लिए सभी साख आवश्यकताओं को पूरा किया हो;

ख. अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों, औद्योगिक प्रशिक्षण, आदि (यदि कोई हो) एवं सभी गैर-साख आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया हो;

ग. संस्थान, विभाग, छात्रावास, राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष, राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय खेल संगठन को कोई बकाया नही हो;

घ. उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है।

15.2 बी.टेक की डिग्री को सीनेट द्वारा अनुशंसित और संस्थान के शासी मंडल /शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

[फा. सं. 52-2/2017-टीएस.I]

सुखबीर सिंह संधू, अपर सचिव (त.शि.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2019

S.O. 3816(E).—In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 34 (1) (2) and (3) of the Indian Institutes of Information Technology (Public-private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017), the Senate with the approval of the Board of Governors, make the following Ordinances of Indian Institute of Information Technology, Sonepat.

1. All B. Tech. programmes offered by the Institute shall be governed by these B.Tech Ordinances.
2. The B. Tech Ordinances shall also be applicable to any new discipline(s) under these programmes that may be introduced in future.
3. A student becomes eligible for the award of the B.Tech degree after fulfilling all the academic requirements as prescribed by these Ordinances.
4. The Institute shall have the following B.Tech branches:

 Computer Science Engineering (CSE)

 Electronics and Communication Engineering (ECE)

 Information Technology (IT)

ACADEMIC CALENDAR

1.1 Each academic session is divided into two semesters of approximately eighteen weeks duration (with at-least seventy working days for classes in each semester): an Odd semester and an Even semester.

1.2 In addition, there may be a semester during the summer break, called a summer semester.

1.3 The Senate approved schedule of academic activities for a session, inclusive of dates for registration, mid-semester and end-semester examinations, inter-semester breaks etc, shall be laid down in the Academic Calendar for the session.

ADMISSION

2.1 The number of seats in each branch of the undergraduate programme for which admission is to be made in the IIIT Sonepat will be decided by the Senate of IIIT Sonepat. Seats are reserved for candidates belonging to EWS, Other Backward Classes(NCL), Scheduled Castes, Scheduled Tribes, physically challenged candidates as per the decisions of Government of India from time to time.

2.2 Admission to the B.Tech programme in any year will be based as per directions from the MHRD, Government of India. Currently these are based on performance in the Joint Entrance Examination (JEE) Main and HSC examinations as per Central Board of Secondary Education (CBSE) guidelines through a counselling conducted by the JOSAA & CSAB for the respective year.

2.3 Every student, admitted provisionally or otherwise to any Programme of the Institute, shall submit copies of the qualifying degree/provisional certificate and such other documents as prescribed by the Senate. These documents must be submitted by the prescribed date.

The admission, provisional or otherwise, of any student who either does not submit the required documents by the stipulated date or fails to meet any other stipulated requirement for admission stands cancelled.

2.4 The admission of any student may also be cancelled by the Senate, at any later time, if it is found that the student had supplied some false information or suppressed some relevant information while seeking admission.

2.5 The Institute reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/ her studies at any stage of his/her career on the grounds of unsatisfactory performance or on disciplinary grounds.

ATTENDANCE

3.1 In order to be eligible to appear in the end semester examinations in subject a semester the student must have

(i) Registration in the Semester

(ii) His/her attendance must be 75% more out of total no. classes held in each subject (i.e. lectures + tutorials in the theory courses and practical hours in practical courses). If a student falls short of this minimum required, he/she will automatically be awarded 'Fail Grade" i.e. Grade and shall be repeat the studies of the particular Course.

Provided that:

(a) If the Cumulative Attendance (CA) of the student in all theory practical courses for which he/she registers himself/herself in a semester in 75% or more, the student shall be eligible to appear in end semester examination of all the theory and practical courses, if in no subject his/her attendance is less then 75%.

(b) Further, if the CA the student in the semester is less than 75% then the student shall be eligible in the end semester examination only in those course in which his/her attendance is 75% or more.

(c) Under exceptional circumstance, the Director may relax minimum CA requirement to 65% on genuine medical grounds or other compelling reasons on the recommendations of the HOD and concerned Dean (Academic).

(d) In extreme cases such an accident, the Director may relax the minimum CA requirement to 50% on the recommendation of the concerned HOD and Dean (Academic).

(e) The CA computation shall be done by the respective HODs for all UG programs expect for B.Tech. 1 st year for B.Tech year, the CA shall be compiled by Professor Incharge (Academic Affair & Senate). For B.Tech 1 st semester course, the attendance computation shall be done w.e.f. the date of admission of the respective student. All the compiled CA information shall be forwarded to the Dean (Academic) within 3 days after the last teaching day of the semester for onwards transmission to the Controller of Examination for necessary action.

CONDUCT AND DISCIPLINE

4.1 Students shall conduct themselves within and outside the precincts of the Institute in a manner befitting the students of an institution of national importance.

COURSE STRUCTURE

5.1 Teaching of the courses shall be reckoned in credits; Credits are assigned to the courses based on the following general pattern:

i. One credits for each lecture period

ii. One credits for each tutorial period

iii. Half credit per hour for each Laboratory or Practical or Project session.

5.2 In order to qualify for a B. Tech. degree of the Institute, a student is required to complete the credit requirement as prescribed in the curriculum for a particular programme.

5.3 No semester will normally have more than six lecture based courses and four laboratory courses.

However, in special cases, students may be permitted to take seven lecture-based courses.

5.4 The course work requirements may be broadly divided into following four main groups of courses:

i. Humanities and Social Sciences

ii. Science and Mathematics

iii. Common Engineering courses

iv. Professional courses

5.5 The total course package for a department will consist of the following components:

i. Common Engineering courses

ii. Departmental Core courses

iii. Departmental Elective courses

iv. Institutional Elective courses (including HSS electives)

5.6 Every B. Tech. Programme will have a curriculum and syllabi for the courses approved by the Senate.

5.7 Medium of instruction, examination and project reports will be in English.

5.8 Faculty Advisor: To help the students in planning their courses of study and getting general advice on the academic programme, the concerned department will assign a Faculty Advisor to each student.

REGISTRATION

6.1

a) Every student is required to be present and register at the commencement of each semester on the dates fixed and notified by Dean (Academic). The registration process for B.Tech students would be centrally organized by the academic branch the institute. For first and second semester B.Tech students, the academic branch conducts the process, whereas for third semester onwards, respective department would do the needful.

b) Only those students will be permitted to register who have

(i) Cleared all fees and dues of the Institute, library and hostel (if resident)
(ii) Not been debarred from registering for a specified period on any ground by the competent authority, and
(iii) Dean (Academic) may allow late registration with the prescribed late fee with in next three working days.

6.2 Students failing to register by the deadline will have deemed to have withdrawn for the semester from the programme and the future course of action will be based on the student's status and the provisions of these Ordinances.

6.3 During registration following conditions must be fulfilled:

a. A student must pass all first year courses before registering for the third year courses.

b. A student must pass ll second year course before registering for the fourth year course

Registration for Semester	Pre- requisite
1st to 4th	NIL
5th Sem	1st year (Both I & II sem. Cleared)
7th Sem	2nd year (Both III & IV sem. Cleared)

DURATION OF THE PROGRAMME

7.1 Normally a student shall complete all the requirements for the undergraduate programme in eight consecutive semesters. However, a student must complete the B.Tech programme in the total time elapsed must not exceed 8 years.

TEMPORARY WITHDRAWAL FROM THE INSTITUTE

8.1 A student who has been admitted to an undergraduate programme of the Institute may be permitted to withdraw temporarily from the Institute on the grounds of prolonged illness grave calamity in the family or any complying reasons for a period of one semester or more, provided:

a. he/she applies to the Institute within at least 6 weeks of the commencement of the semester or from the date he last attended his/her classes whichever is later, stating fully the reasons for such withdrawal together with supporting documents and endorsement of his/her guardian;

b. the Institute is satisfied that, counting the period of withdrawal, the student is likely to complete his/her requirements of the B. Tech. Degree within the time limits specified in Clause 8 above;

c. there are no outstanding dues or demands in the Institute/ Hostel /Department/ Library.

WARNING, ACADEMIC PROBATION AND TERMINATION FROM THE PROGRAMME

9.1 A student's studentship in a programme may be terminated on the following grounds:

a. A decision is taken on disciplinary grounds.

b. On having been found to have produced false documents or having made false declaration at the time of seeking admission.

c. The maximum permissible duration of the programme has been exceeded.

EVALUATION PROCESS

10.1 The Institute follows the Credit Based System of evaluation for all degree programmes

Based on the performance of a student in a course evaluated through class-work, two mid semester examinations and end semester examination, a letter grade for that course for the semester is awarded to a student, as:

Marks obtained & Grade	Letter Grade	Performance	Grade Point
$85 \leq A^{+} \leq 100$	A+	Excellent	10
$75 \leq A < 85$	A	Very Good	09

65 ≤ B < 75	B	Good	08
50 ≤ C < 65	C	Average	06
40 ≤ D < 50	D	Pass	04
0 ≤ E < 40	F	Fail / Re-appear	00

Further, since each letter grade awarded to the students indicates the level of performance in that course, it has an assigned Grade Point for the purpose of computing the Cumulative Grade Point Average (CGPA) as given in table above.

Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of all grades and computed as follows:

CGPA = ∑CiGi/∑Ci

Ci denotes credits assigned to ith course and Gi indicate the Grade point equivalent to the Letter Grade obtained by the student to the ith course.

A student who gets an 'F' Grade in a course shall have to repeat that Course.

The Percentage of marks of a student can be calculated by multiplying the CGPA of a student by 9.00.

10.2 The students who are detained in a semester in a course or courses on account of shortage of requisite attendance, have the following two options:

i) To register for the course/courses when the course(s) is/are being offered, go through the normal evaluation process and obtain the appropriate grade.

ii) To move the next class and appear for only improvement of sessionals in that course(s) through mod-semester examination, such students who have to improve sessionals in different courses of previous semesters, their sessional marks be awarded only on the basis of performance of mid-semester exam ignoring marks of attendance & class works, and limited to maximum 40%.

ASSESSMENT OF PERFORMANCE

11.1 COUNTINUOUS EVALUATION SUB-COMPONENTS AND WEIGHTAGE

	SUB - COMPONENT	**WEIGHTAGE %**
(a)	**Theory Papers**	
1.	Two Class Tests	15+15=30
2.	Teacher's Assessments through viva-voca, Home Assignments, on the Spot tests, Short Quizzes etc.	10
3.	Class Attendance (L+T)*	10
4.	End Semester Examination	50
(b)	**Practicals**	
1.	Mid Semester Evaluation (to be conducted in regular Practical Classes)	30
2.	Teacher's Assessments through viva-voca, Short Quizzes, reports, Class work etc.	20
3.	Class Attendance*	10
4.	End Semester Examination	40
(c)	For Seminars, Projects, Training, Comprehensive viva and General Fitness Evaluation, the weightage will be decided by Departmental Review / Academic Committees.	

* The maximum attendance for calculation of attendance component of sessional marks shall be shall be 90% of the total classes held.

The candidates will be required to obtain minimum D grade and earn the assigned credits.

EXAMINATIONS

12.1 A student may be debarred from appearing in the end semester examination due to the following reasons:

a. If any disciplinary action is taken against him/her.

b. On recommendation of a teacher, if his/her attendance in the Lecture/Tutorial/ Practical classes has less than the prescribed minimum during the semester.

SUPPLEMENTRY EXAMINATIONS

13.1 Students who have missed an end semester examination on any reason are eligible to appear for the same examination (Odd scheduled exam in the odd semester & Even scheduled exam in the Even semester) in the subsequent occurring odd or even semester, respectively.

This will be permitted on the request of the student through a form and on payment of the requisite fee.

WITHHOLDING OF GRADES

14.1 Grades shall be withheld when the student has not paid his/her dues or when there is a disciplinary action pending against him/her.

ELIGIBILITY FOR THE AWARD OF B. TECH. DEGREE

15.1 A student shall be declared to be eligible for the award of B. Tech. degree if he/she has:

a. completed all the credit requirements for the degree with a grade D (Pass) or higher grade in each of the subjects (Theory, Laboratory, Workshop, etc), Seminar, Project, Industrial Training, Internship etc;

b. satisfactorily completed all the non-credit requirements for the degree viz Extra Academic Activities, Industrial Training, etc (if any);

c. no dues to the Institute, Department, Hostels, NCC, NSS and NSO; and

d. no disciplinary action is pending against him/her.

15.2 The award of B. Tech. degree must be recommended by the Senate and approved by the Board of Governors / Governing Body of the Institute.

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy. (TE)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3817(अ).— भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़

अध्यादेश

1		**विद्यार्थियों का संस्थान में दाखिला :**
	1.1	विद्यार्थियों का दाखिला, पंजीकरण, कक्षाएं प्रारंभ होना और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाएं सीनेट द्वारा अनुशंसित और बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाएगा।
2		**डिग्री और गैर-डिग्री अध्ययन कार्यक्रम :**
	2.1	संस्थान द्वारा परम्परागत और ऑन-लाइन प्रणालियों के माध्यम से अवर स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान, समेकित और दोहरे डिग्री कार्यक्रम तथा प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा और अन्य गैर-डिग्री कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे।

	2.2	संस्थान द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जो सीनेट द्वारा यथा विनिर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित डिग्री कार्यक्रम हेतु सभी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।
	2.3	सभी डिग्री कार्यक्रमों के लिए दो सेमेस्टर के वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर सहित एक वैकल्पिक ग्रीष्मकालीन अवधि के सेमेस्टर का संचालन किया जाएगा जबकि गैर-डिग्री कार्यक्रम वर्ष में किसी भी समय प्रारंभ किए जा सकते हैं।
	2.4	विभिन्न कार्यक्रमों की समयावधि को सीनेट द्वारा और बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत समय-समय पर संबंधित अध्ययन कार्यक्रमों के संचालन हेतु दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
3		**मूल्यांकन की योजना :**
	3.1	संस्थान द्वारा प्रत्येक डिग्री कार्यक्रम की अध्ययन योजना हेतु क्रेडिट आधारित योजना लागू की जाएगी।
	3.2	विद्यार्थियों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु सीनेट द्वारा यथा विनिर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सापेक्ष अथवा निरपेक्ष अक्षर ग्रेड प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, जिसे समकक्ष संचयी कार्य-निष्पादन सूचकांक में परिवर्तित किया जाएगा।
	3.3	किसी विशिष्ट अध्ययन कार्यक्रम के लिए प्रत्येक साख हेतु सीनेट द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कतिपय **'कांटेक्ट'** घंटे अपेक्षित होंगे।
4		**अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किया जाना :**
	4.1	अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पदक, प्रदर्शनियां और पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रियाएं सीनेट द्वारा निर्धारित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों द्वारा अभिशासित होंगी।
5		**संस्थान के वित्त पोषण :**
	5.1	संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए प्रभारित किए जाने वाले उपभोक्ता प्रभारों/शुल्कों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की लागतें वसूल की जाएं।
	5.2	संकाय सदस्यों द्वारा उद्यमिता अथवा बौद्धिक सम्पदा के माध्यम से अर्जित किसी परामर्श शुल्क और लाभ अथवा प्रतिलाभ को संस्थान के परामर्श मानदंडों के अनुसार संस्थान के साथ साझा किया जाएगा।

[फा .सं .52-2/2017.टीएस-I]

सुखबीर सिंह संधू, अपर सचिव (टीई)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2019

S.O. 3817(E).—In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 34 (1) (2) and (3) of the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017), the Senate with the approval of the Board of Governors, make the following Ordinances of Indian Institute of Information Technology, Dharwad.

Indian Institutes of Information Technology, Dharwad

Ordinances

1		**Admission of students to the Institute:**
	1.1	Admission, registration, commencement of classes and other academic processes shall be as recommended by the Senate and approved by the Board from time to time.
2		**Degree and non-degree programmes of study:**

	2.1	The Institute may offer undergraduate, post-graduate, research, integrated and dual degree programmes as well as certificate, diploma, and other non-degree programmes through conventional or on-line modes.
	2.2	The Institute shall award degrees to candidates meeting all the requirements for the degree programme as specified by Senate and approved by the Board from time to time.
	2.3	All degree programmes shall follow an annual academic calendar of two semesters plus an optional summer term while non-degree programmes may begin at any time of the year.
	2.4	The duration of various programmes shall be specified in the guidelines governing the respective programmes of study from time to time by the Senate and approved by the Board.
3		**Scheme of evaluation:**
	3.1	The Institute shall follow a credit based scheme of study for each degree programme.
	3.2	The evaluation of the performance of students shall follow a system of relative or absolute letter grades which shall be converted to an equivalent cumulative performance index (CPI) as specified by the Senate and approved by the Board.
	3.3	Each credit shall require a certain number of contact hours as specified by the Senate for the particular programme of study.
4		**Award of the fellowships, scholarships, medals and prizes:**
	4.1	Awards of fellowships, scholarships, medals, exhibitions and prizes shall be governed by conditions decided by the Senate and approved by the Board.
5		**Finances of the Institute:**
	5.1	The Institute shall ensure that user charges/ fees charged by it for its various courses and programmes recover the costs of providing the services.
	5.2	Any consulting fee and gains or returns from entrepreneurship or intellectual property earned by faculty shall be shared with the Institute as per the consulting norms of the Institute.

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy. (TE)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3818(अ).— भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

I. बीटेक कार्यक्रम के अध्यादेश

0.1 भा. सू. प्रौ. सं. कोट्टायम में केंद्रीय पद आबंटन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसार) के माध्यम से प्रवेश पाने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता10 + 2 (कक्षा XII) या उसके समकक्ष की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण है।

0.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसारअध्ययन की विशेष शाखा में प्रवेशमिलता है।

0.3 सामान्य रूप से बीटेक कार्यक्रम की अवधि 8 सेमेस्टर होगी, और दोहरी स्नातक कार्यक्रम की अवधि 10 सेमेस्टर होगा।

0.4 बीटेक/बीटेक (ऑनर्स)/बीटेक + एमएस दोहरी स्नातक कार्यक्रम का पुरस्कार संस्थान की शैक्षणिक सलाहकार समिति/वरिष्ठ सभा के नियमों के अनुसार होगा।

II. पीएचडी कार्यक्रम के अध्यादेश

1. अनुसंधान के निर्धारित कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किए गए उम्मीदवार को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोट्टायम ने अभियांत्रिकी/विज्ञान/मानवीकी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रदान की है।

2. संस्थान के वरिष्ठ सभा द्वारा अनुसंधान कार्यक्रम के नियमों और विनियमों को तैयार किया जाता है। वरिष्ठ सभा को समय-समय पर संरचना, शासी नियमों और विनियमों को संशोधित या बदल किया जा सकता है।

3. पीएचडी की उपाधि से सम्मानित होने वाले उम्मीदवार को इस कार्यक्रम के तहत किए गए अपने शोध के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने वाली शोध प्रबंध प्रस्तुत करना है। शोध प्रबेध को संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित ज्ञान की उन्नति के लिए उच्च गुणवत्ता का एक मूल योगदान करना चाहिए।

4. संस्थान के वरिष्ठ सभा द्वारा निर्धारित सभी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही एक उम्मीदवार पीएचडी की उपाधि के लिए पात्र हो जाता होगा।

5. संस्थान के शासक मंडल की अनुसमर्थन के बाद संस्थान के वरिष्ठ सभा यह पुरस्कार की सिफारिश बनाया जाएगा।

6. पीएचडी कार्यक्रम के लिए छात्र जिस विभाग/केंद्र में पंजीकृत करता है उसी विषय में पीएचडी डिग्री प्रदान की जाएगी।

[फा .सं .52-2/2017टीएस-I]

सुखबीर सिंह संधू, अपर सचिव (टीई)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2019

S.O. 3818(E).—In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 34 (1) (2) and (3) of the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017), the Senate with the approval of the Board of Governors, make the following Ordinances of Indian Institute of Information Technology, Kottayam.

I. ORDINANCES for B.Tech Programme

0.1 The minimum academic qualification for admission through Central Seat Allocation (as per MHRD, Govt. of India orders) to IIIT Kottayam (hereafter, the Institute) is a pass in the final examination of 10+2 (Class XII) or its equivalent.

0.2 Admission to the particular branch of study shall be as per MHRD, Govt. of India orders.

0.3 The duration of the B.Tech programme will normally be 8 semesters, and Dual degree programme will be 10 semesters.

0.4 The award of the B.Tech / B.Tech Honours/ B.Tech+MS dual degrees shall be in accordance with the regulations of the Academic Advisory Committee / Senate of the institute.

II. ORDINANCES for PhD programme

1. The Indian Institute of Information Technology Kottayam awards the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering/Sciences/Humanities to a candidate who has successfully completed the stipulated Programme of Research.
2. The Programme of Research with the governing rules and regulations are formulated by the Senate of the Institute. The Senate can modify or change the structure, the governing rules and regulations from time to time.
3. A candidate to be awarded the PhD degree has to submit a thesis embodying the findings of his/her research carried out under this programme. The thesis should make an original contribution of high quality to the advancement of knowledge as judged by the experts in the relevant area.
4. A candidate becomes eligible for the award of the PhD degree after fulfilling all the academic requirements prescribed by the Senate of the Institute.
5. The award shall be made upon the recommendation of the Senate of the Institute after ratification by the Board of Governors of the Institute.
6. The PhD degree shall be awarded in the discipline of the Department/Centre which registers the student for the PhD programme.

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy. (TE)